प्रणाली की दरारों में जीवन का संघर्ष

प्रणाली की दरारों में जीवन का संघर्ष: मौजूदा बालक देखभाल व संरक्षण सेवा में उपस्थित सीमाएं

चेतावनी: इस लेख में बालक का लैंगिक शोषण, बाजारू लैंगिक शोषण, व खुद को नुकसान पहुंचाने, जैसे संवेदनशील बिदुओं पर चर्चा की गई है.

बाजारू लैंगिक शोषण के पीड़ित बालकों को सहायता प्रदान करने के क्रम में रेस्क्यू के बाद बालकों को पुनर्वास सेवा में सहायता करने के लिए 'प्रेरणा', चाइल्ड केअर इंस्टीट्यूट के साथ कार्य करती है. इसके अंतर्गत 'प्रेरणा' उन मामलों पर भी काम करती है, जिनका बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा अनुरोध किया जाता है.

चाइल्ड केअर इंस्टीट्यूट में नियमित दौरे के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक बालिका को अकेले बैठे व रोते हुए देखा. जारा (बदला हुआ नाम)) काफी परेशान दिख रही थी व वह लगातार बोल रही थी कि कैसे उसे कोई बात परेशान कर रही है. सामाजिक कार्यकर्ता थोड़ी देर के लिए बालिका के साथ बैठी व उसने बालिका की शांत होने में मदद की.

बाद में सामाजिक कार्यकर्ता ने संस्थान के परिवीक्षा अधिकारी (पीओ) से केस के संदर्भ में बात की व केस को बाल कल्याण समिति की नजर में लाते हुए प्रेरणा को केस के लिए नियुक्त करने का आग्रह किया. आवश्यक सोच विचार के बाद, प्रेरणा को सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एसआईआर) जमा करने के लिए निर्देशित किया गया व बालिका की पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए केस का फॉलो-अप करने के लिए भी कहा गया. जनवरी 2019 में जारा का केस प्रेरणा को सौंप दिया गया.

लैंगिक दुर्व्यवहार और लैंगिक शोषण- बालिका की कहानी

पहली मुलाकात में जारा द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2018 में उसके पिता ने उसका लैंगिक शोषण किया था. उसने यह घटना अपनी मां से साझा करने का प्रयास किया लेकिन उसकी मां ने उसका समर्थन नहीं किया. साथ ही, उसकी मां ने इस घटना से संबंधित जानकारी किसी और से साझा न करने की चेतावनी दी, और कहा कि अगर जारा किसी को इस घटना के बारे में बताती है तो वह उसके पिता को बता देगी और उसका अंजाम जारा को भुगतना होगा. मां के इस व्यवहार ने भावनात्मक तौर पर जारा को काफी आघात पहुंचाया, व उसकी हालत और अधिक बिगड़ गई. मां द्वारा सहायता देने से इनकार करने पर जारा इन परिस्थितियों में असहाय महसूस करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वह घर से भाग गई. उसके लिए शोषण व उससे जुड़ी मां की प्रतिक्रिया को समझना मुश्किल हो गया था. वह इन सब के लिए खुद को दोषी मानने लगी और उसके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लगे थे.

घर से भागने के कुछ दिन बाद, पुलिस को जारा समुद्र के एक किनारे पर मिली, जो उसके घर के पास ही था. उसने पुलिस को अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस उसको चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल ले गई, जहां यह पता चला कि वह गर्भवती है. जारा के अनुसार, चिकित्सकीय मदद से उसका गर्भपात कराया गया और उसे चाइल्ड केअर इंस्टीट्यूट (सीसीआई) भेज दिया गया. उसके पिता के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोकसो) के तहत लैंगिक शोषण का मामला दर्ज किया गया. पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर कस्टडी में लिया. सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी आदेश के आधार पर जारा को उसके परिवार के पास जून 2018 में पुन: स्थापित कर दिया गया. जारा को घर में पुन: स्थापित किए जाने के बाद से उसकी मां ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जारा की वजह से ही पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार किया है. वह चाहती थी कि जारा अपने पिता के खिलाफ दिया बयान वापस ले. घर में अपने लिए कठिन माहौल देखकर, जारा कुछ दिनों बाद वापस घर से भाग गई.

सितंबर 2018, में जारा रेलवे स्टेशन पर एक लड़के से मिली, जहां जारा अपनी रातें गुजार रही थी. जारा ने लड़के के साथ दोस्ती की, लेकिन लड़के ने उसे एक ममता नाम की महिला को बेच दिया, जिसने जारा को देह व्यापार में ढकेल दिया. ममता के पति ने भी जारा का लैंगिक शोषण किया और फिर उसे देह व्यापार में उतार दिया. ममता ने जारा का एक नकली आधार कार्ड भी बनवाया, जिसमें उसने जारा को मंगलसूत्र व सिंदूर पहनाया जिससे वह बालिग लगे. कई महीनों तक जारा का लैंगिक शोषण किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे वहां से छुड़ाया. जनवरी 2019 में, पुलिस को जारा बेहोशी की हालत में एक सड़क पर मिली थी. इस बार उसे दूसरे सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया, जो उस जिले से पास था जहां वह मिली थी. समिति ने जारा को अपने जिले के एक सीसीआई में रखने का आदेश दिया. क्योंकि इस बार जारा को दूसरी समिति के समक्ष पेश किया गया था व दूसरे सीसीआई में रखा गया था तो सीडब्ल्यूसी व सीसीआई दोनों को उसके पुराने केस के बारे में नहीं मालूम था. यहां पर पहली बार प्रेरणा के केस वर्कर की मुलाकात जारा से हुई थी.

मनोवैज्ञानिक परेशानी के संकेतक - परिवार का नजरिया

प्रेरणा को केस निर्दिष्ट होने के बाद एक सामाजिक जांच की गई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता जारा की मां से मिली. बातचीत के दौरान मां ने बताया कि जब जारा छोटी थी तो वह अपने भाई के साथ भाग गई थी. उन्होंने आगे बताया कि जब वह छोटी थी तो उसने आत्महत्या का भी प्रयास किया था, लेकिन समय पर पड़ोसियों के हस्तक्षेप से उसे बचा लिया गया था. परिवार के नजरिये में उन्हें जारा के व्यवहार में अप्रिय संकेत दिख रहे थे. वह उसे एक ऐसी बालिका के रूप में देखने लगे थे जो मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और वह अक्सर परेशानियां खड़ी करती थी. जारा की मौसी ने कई मौकों पर इसका जिक्र किया, उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने कई बार जारा को खुद से बात करते हुए देखा है, जो मनोरोग का संकेतक भी हो सकता है. परिवार की कहानी के अनुसार, जारा अपने स्वास्थ्य व साफ-सफाई का ध्यान नहीं रख पाती थी और वह कई दिनों तक बिना नहाए व बिना बाल बनाए रह सकती थी.

इस जांच के दौरान, यह भी बताया गया कि खुद को नुकसान पहुंचाने के संबंध में जारा ने कई बार अपनी कलाई व बांह काट ली थी और एक मौके पर तो उसे अस्पताल में भी भर्ती करने की जरूरत पड़ी थी. इस जांच के दौरान, यह भी महसूस किया गया कि परिवार आर्थिक तंगी व स्वास्थ्य समस्या जैसी परेशानियों से गुजर रहा था. उन्हें बालिका के बदलते हुए स्वभाव को समझने व उसकी देखभाल करने में परेशानी हो रही थी. वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि बालिका का यह अजीब व्यवहार अपने दर्दनाक अनुभव का सामना करने का तरीका था. इसके स्थान पर परिवार ने इस व्यवहार को ध्यान आकर्षित करने वाले व परेशानी खड़ी करने वाले व्यवहार के रूप में देखा. मां ने आगे बताया कि वे हस्तक्षेप कर उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे हालांकि वह अक्सर उसे गुस्से में ही जवाब देती थी. मां चाहती थी कि जारा स्वस्थ हो जाए और वह उसके पुनर्वासन में भी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार थी, लेकिन वह परिवार में उसे पुन: स्थापित करने के लिए तैयार महसूस नहीं कर रही थीं. उनका यह भी मानना था कि उनके पति पर झूठे आरोप लगाए गए हैं. इस दौरे के बाद, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को जमा की गई, जिसमें तत्काल मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप करने का सुझाव दिया गया था.

इसके पश्चात जारा को उसके सदमे आधारित अनुभव से उभरने के साथ-साथ उसमें स्थिरता लाने के लिए उसे एक समुपदेशक के पास भेजा गया. समुपदेशन सत्र के दौरान, जारा ने बताया कि उसे लगता है कि उसके करीबी लोगों ने विशेषकर उसके माता-पिता ने उसे धोखा दिया है. जहां उसके पिता ने उसका शोषण किया था वहीं उसकी माता ने उसकी बात पर भरोसा न करके उसे भारी आघात पहुंचाया था. इन अनुभवों के अलावा, उसने अपने एक दोस्त पर भरोसा जताया जिससे उसने रेलवे स्टेशन पर मित्रता की थी, उसने भी देह व्यापार में बेचकर उसे धोखा दिया था. इन अनुभवों ने जारा के मन में बेहद गहरा प्रभाव डाला था, जिस कारण से वह किसी अन्य के साथ रिश्ता बनाने में परेशानी महसूस करती है.

चाइल्ड केअर इंस्टीट्यूट में मानसिक स्वास्थ्य

एक बार सीसीआई में पहुंचने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जारा के साथ नियमित आधार पर बातचीत करना शुरू किया. बातचीत के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह महसूस किया कि जारा को अभिघातज घटनाओं को याद करने में दिक्कत आ रही है और वह जब अपने परिवार के बारे में बात करती है तो व्यथित हो जाती थी. पूर्व में हुई अभिघातज घटनाओं से वह काफी परेशान थी व उसने बताया कि अक्सर उसे यह बुरा सपना आता है कि उसके पिता उसको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. इन अभिघातज यादों का प्रभाव दूसरों के साथ भी जारा के मेल मिलाप या बातचीत में आने लगा था. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि जारा पुरुषों से बेहद डरती थी और संस्थान की चारदीवारी से बाहर जाने में डरती थी, उसे लगता था कि उसके पिता उसे नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे होंगे. जारा के साथ बातचीत के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह अनुभव किया कि वह अक्सर अभिघातज अनुभव के बारे में ऐसे बताती थी जैसे वह उसे दोबारा से अनुभव कर रही हो.

सीसीआई के दौरे के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ता को अक्सर जारा के व्यवहार की शिकायत सुनने को मिल जाती थी. जारा ने सामाजिक कार्यकर्ता को बताया कि उसे यह महसूस होता है कि संस्थान के दूसरे बालक व कर्मचारी उससे अलग तरीके से पेश आते हैं. उसे मानसिक रूप से अस्थिर बालिका के रूप में बुलाया व चिढ़ाया जाता था. वह मासूमियत से पूछती कि उसका मजाक क्यों बनाया जा रहा है और उसे चाइल्ड केअर इंस्टीट्यूशन के केअरटेकर्स द्वारा उपहास का पात्र क्यों बनाया जाता है. इन दर्दनाक अनुभवों ने जारा के बोध व उसके सीखने की क्षमता पर प्रभाव डाला. जारा सामान्य टिप्पणी व बर्ताव से भी डरने लगी. कुछ अन्य मुलाकातों के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह महसूस किया कि अगर कोई सीसीआई में रहने वाले शख्स जारा के प्रति कोई टिप्पणी करते, तो वह उनके प्रति हिंसक व डराने वाले इशारे करती है. वह इस तरह की घटनाओं के बाद अक्सर खुद को भावनात्मक रूप से पराजित महसूस करती व इस एहसास से बाहर निकलने में असहज महसूस करती. इस तरह की परेशानी से निकलने के लिए वह अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाती व जोर से रोती.

जारा ने एक बार सामाजिक कार्यकर्ता को बताया था कि उसे भावनात्मक पीड़ा से ज्यादा आसान शारीरिक पीड़ा को प्रबंधित करना लगता है. इस कारण से कई ऐसे मौके थे जहां जारा ईंट का चूरा खाकर, किसी धारदार वस्तु से खुद को काटकर, व दरवाजे में सिर मारकर खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती थी. उसका आख्यान खुद को नुकसान पहुंचाने व आत्महत्या करने वाले विचार की ओर बढ़ रहा था. जारा अक्सर सामाजिक कार्यकर्ता को बताती थी कि वह खुद को जीने के लायक नहीं समझती है. एक साल में खुद को तीन बार नुकसान पहुंचाने के कारण उसे सहायता के लिए मनोचिकित्सक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जब वह अस्पताल में भर्ती थी तो जारा ने बताया कि उसे एक बार इलेक्ट्रोकनवल्सिव थेरपी (ईसीटी) से गुजरना पड़ा और उसके बाद उसे दवाइयों पर रखा गया. इलाज के दौरान, यह पाया गया कि दवाइयों ने बालिका की हालत को स्थिर किया, हालांकि दवाइयों के कारण जारा को कमजोरी व थकान रहती थी. फिर भी, जारा की दवाइयां रोकी नहीं जा सकती थी क्योंकि वह अक्सर हिंसक हो जाती थी लेकिन पहले के मुकाबले दवा की खुराक घटा दी गई व उसे समुपदेशन परामर्श के लिए भेजा गया.

जारा के पुनर्वासन की तरफ कार्य

निगरानी व संरक्षण के जरूरतमंद एक बालक को [जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 (केअर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन)] सिर्फ सीसीआई में रखकर ही पुनर्वसित नहीं किया जा सकता है. इसलिए, टीम ने उसकी पुनर्वासन प्रक्रिया में उसकी मां को शामिल करने का प्रयास किया लेकिन इस फैसले से जारा और भी हिंसक हो गई और उसमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी. जारा की मां बालिका के अभिघात को नहीं समझ रही थी उन्हें लग रहा था कि वह ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब कर रही है.

**इलेक्ट्रो कनवल्सिव थेरपी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जो प्रशिक्षित चिकित्सकीय पेशेवरों की टीम द्वारा की जाती है. इस प्रक्रिया में कुछ समय के लिए दिमाग का इलेक्ट्रिक स्टीमुलेशन शामिल होता है. इस दौरान मरीज को एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है. यह आमतौर पर मूड डिसऑर्डर व मनोदैहिक से जूझ रहे मरीजों पर इस्तेमाल किया जाता है

जारा की मां को यह लगना जारी रहा कि उनके पति निर्दोष हैं, और इस कारण से वह जारा से नाराज थी. मां की प्रतिक्रियाओं ने जारा को और भी व्यथित कर दिया व वह केसवर्कर द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप में उदास नजर आने लगी.

केस में यह अनुभव किया गया कि संस्थान के केअरटेकर्स अपनी क्षमताओं के अनुरूप पूर्ण रूप से जारा की मदद करना चाहते थे. हालांकि जब जारा लगातार कई दिनों तक रोने लगी या खुद को नुकसान पहुंचाने लगी तो केअरटेकर्स को उसे अस्पताल ले जाना पड़ता, जिस कारण से उन्हें नौकरी पर अतिरिक्त घंटे बिताने पड़ते और वह इस बात से चिढ़ने लगे थे. कई ऐसे दिन भी हुए जब सामाजिक कार्यकर्ता संस्थान जाते तो वह बालिका को कोने में बैठकर जोर-जोर से रोता हुआ पाते और संस्थान के डॉक्टर इस बर्ताव को ध्यान आकर्षित करने वाले बर्ताव की तरह देखते. कुछ दिन ऐसे भी हुए जब जारा अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनकर संस्थान में खुशी से घूम रही होती थी, लेकिन कुछ बालक 'देखो मोटी पागल भाग रही है' कह कर उसका मजाक उड़ाते, जिसके बाद उसका दिन रोते हुए खत्म होता था.

यह महसूस किया गया कि जारा की मानसिक स्थिति को पेशवर चिकित्सकीय सहायता की जरूरत थी क्योंकि अस्पताल ले जाने से बालिका की हालत में स्थिरता नहीं आ रही थी. प्रेरणा के द्वारा एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई. पुलिस सुरक्षा के साथ सामाजिक कार्यकर्ता जारा को लेकर शहर के दक्षिणी क्षेत्र में बैठने वाले एक निजी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास गए, इसकी अनुमति सीडब्ल्यूसी द्वारा दी गई थी. बालिका का व्यक्तित्व जांचने के लिए एक प्रक्षेप्य परीक्षण किया गया. जैसे-जैसे बालिका को मनोचिकित्सक के पास ले जाने की जरूरत बढ़ी संस्थान के स्टाफ के लिए पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य बन गया. अगर पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था भी हो जाती तो क्लीनिक तक जाने में लगने वाला समय व दूरी भी एक चुनौती थी. प्रेरणा की टीम, संस्थान के स्टाफ व सीडब्ल्यूसी द्वारा एक ऐसा संस्थान खोजने का प्रयास किया गया, जो मनोचिकित्सक की क्लिनिक के पास हो, जिससे बालिका की मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी की जा सके. हालांकि, आर्थिक स्थिति को देखते हुए इलाके में ऐसा कोई भी मनोचिकित्सक नहीं था, जो बालिका की मदद करना चाह रहा था.

सितंबर 2019 में जारा को दूसरे चाइल्ड केअर इंस्टीट्यूशन में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि संस्थान के स्टाफ, प्रेरणा की टीम व सीडब्ल्यूसी को यह लगा कि बेहतर चिकित्सा सुविधा से लैस एक नया वातावरण बालिका के लिए बेहतर साबित होगा. जिस संस्थान में बालिका को स्थानांतरित किया जा रहा था वहां एक नर्स, एक गृह डॉक्टर, कुछ दूरी पर अस्पताल होने के साथ-साथ नियमित आधार पर समुपदेशक के दौरे जैसी सुविधाएं मौजूद थी. स्थानांतरण के कुछ दिनों बाद यह पाया गया कि जारा ने संस्थान से भागने का प्रयास किया, स्टाफ के जिस सदस्य ने रोकने का प्रयास किया उसे दांत से काटा, वह अलमारी में लगातार अपना सिर लड़ाती रहती है और दवा लेने व किसी की बात मानने से इनकार करती है. जैसा कि जारा के किसी लड़ाई में शामिल होने, खाना न खाने या दवा न लेने और खुद को नुकसान पहुंचाने की शिकायत आती तो उसे हर दूसरे सप्ताह बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता.

अन्य चाइल्ड केअर इंस्टीट्यूशन ने बालिका को रखने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वह संस्थान में रहने वाले अन्य बालक-बालिकाओं के लिए खतरा है. एक संस्थान के निरीक्षक ने यहां तक सुझाव दे दिया कि 'बालिका को जाने देना चाहिए' और उसे खुद के लिए व्यवस्था करने देना चाहिए जो कि बालिका की 'इच्छा' है.

फरवरी 2020 में जारा को मनोरोग सुविधा में वापस भेज दिया गया क्योंकि वह कोई भी ठोस आहार व अपनी दवाइयां लेने से इनकार कर रही थी. दवा न लेने से जारा हिंसक हो गई थी और किसी से बात नहीं करती थी. वह अपने साथ-साथ आस-पास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगी थी. जब बालक इस तरह की एक मानसिक स्थिति में होते हैं तो उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना भी बेहद कठिन हो जाता है, ऐसे मामलों में देखभाल करने वाले वयस्क लोग मिलकर बालक के हित में निर्णय लेते हैं. बाल कल्याण समिति ने ठीक होने तक उसे मनोरोग सुविधा में रखने का निर्णय जारी किया था. इसी बीच एक अन्य जिले के संस्थान से जारा के स्थानांतरण के संबंध में संपर्क किया गया, यह संस्थान मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए था.

***

इस केस ने गंभीर मानसिक स्वास्थ्य से गुजर रहे बालकों के साथ काम करने की चुनौतियों, मानसिक व मनोरोग स्वास्थ्य को समझने व देखभालकर्ताओं व मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के प्रति परिवारों की संवेदनशीलता जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला है. खुद को नुकसान पहुंचाने के कारण जारा को कई चाइल्ड केअर संस्थानों के बीच स्थानांतरित, मनोरोग व्यवस्था में भर्ती व कई बार अस्पताल में भर्ती किया गया. उसका परिवार उसके मानसिक रोग व अभिघात की गंभीरता को समझने में असफल रहा. वहीं संस्थान में मौजूद केअरटेकर्स व स्टाफ ने जारा के प्रति संवेदनशील होने का प्रयास किया लेकिन वे बालिका की भावनाओं को समझने व उसमें सहायता करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे. साथ ही उनके पास क्षमता से अधिक कार्य होता है जिसके कारण वह हरेक बालक को पर्याप्त देखभाल नहीं दे पाते हैं और कई बार बिना यह जाने कि बालक पहले से ही अभिघात से गुजर रहा है,वह बालक के साथ असंवेदनशील भी हो जाते हैं.

सामान्य की परिभाषा के अनुसार बर्ताव करने के लिए जारा को समझाने के दौरान संस्थान के अन्य बालक परेशान हो जाते थे. हमारे समाज में अभिघात व मानसिक रोग के प्रति समझ की कमी व संवेदनशीलता का अभाव है, जो इन समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भारी नुकसान पहुंचाता है.

समाज में जानकारी का अभाव व अनदेखी के दुष्परिणाम लांछन व भेदभाव जैसे कारक हैं. मानसिक रोग के बारे में समझ न होने से अक्सर बीमारी का सामना कर रहे या उससे जूझ रहे शख्स के खिलाफ असंवेदनशीलता को बढ़ाता है जिससे उस शख्स का अभिघात बढ़ जाता है. मानसिक रोग से पीड़ित बालक के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना व जिम्मेदारी से नियमित आधार पर दवा लेना भी बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है. जब देखभाल करने वाले लोगों में मुद्दे को लेकर समझ का अभाव हो तो बालक के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं. यह बेहद जरूरी है कि सीसीआई में मौजूद स्टाफ को मानसिक सेहत व मनोरोग के संकेतों के बारे में जागरूक करना चाहिए. इसके साथ ही यह भी बेहद जरूरी है कि वह बालक के प्रति संवेदनशील रहे ताकि वह बालक को और अधिक नुकसान न पहुंचे. बालक की मानसिक सेहत को समझना व उसकी जरूरतों को पूरा करना एक प्रभावी पुनर्वासन के लिए आवश्यक है.

हमें पूरा भरोसा है कि आप में से अधिकांश लोग भी खुद से ही इसी प्रकार से डेटा एकत्रित करने व विश्लेषण संबंधित कार्य कर रहे होंगे. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने कार्य को हमारे साथ भी साझा करें. अपने वेबसाइट में आपका कार्य साझा करते हुए हमें बेहद खुशी होगी.

www.fighttrafficking.org

Your trusted knowledge partner in the fight against human trafficking

20 Years of ATC

हमें इस पते पर ई-मेल भेजें:
fighttraffickingindia@gmail.com

Copyright © 2020 Prerana, All rights reserved.